न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 113/2019

उनवान

शिवचरण वगै0

अप्रार्थी/वादी

बनाम

किशनस्वरूप वगै0

प्रार्थी/प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितिः—

प्रार्थी/प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

अप्रार्थी/वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनांक 21/04/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा0 दी0 का इस आश्य का पेश किया है कि उपरोक्त उनवान का मुकदमां माननीय न्यायालय जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। उपरोक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद पत्र की मद नं0 4 में अंकित किया है कि दिनांक 25.07.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 ने प्रतिवादी क्रम 3 शांतिबाई को बहला फुसलाकर अधिक उम्र होने से तथा अनपढ़ होने तथा सोचने समझने में सक्षम नहीं होने से जबरन दाव दबाव देकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 202 का कुल किता 12 का कुल रकबा 2.04 है0 में प्रतिवादी क्रम 3 शांतिबाई से उसके हिस्से का हक त्याग पत्र प्रतिवादी क्रम 1 किशनस्वरूप ने अपने नाम निष्पादित करवाकर उसे सब रजिस्ट्रार के यहां तस्दीक करवा लिया है जिसे प्रभाव शून्य घोषित किया जावे एवं वादीगण द्वारा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष में भी यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष में भी यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा दिनांक 25.07.2019 को करवाये गये हक त्याग को निरस्त एवं

प्रभाव शून्य घोषित करवाने से संबन्धित है। इस वजह से माननीय न्यायालय को किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त एवं प्रभावशून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है। इस कारण से वाद विधि द्वारा वर्जित होने से चलने योग्य नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने के संबंध में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं होने से एवं मात्र सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने की वजह से वाद विधि द्वारा वर्जित होने की वजह से वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अन्य कारण ब वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी प्रतिवादी क्रम 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है । प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है विशेष विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है विशेष विवरण आपत्तियों में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अस्वीकार है।

—:: विशेष आपत्तियां::—

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी राजस्व जमाबन्दी में वादीगण एवं प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 के दर्ज खाता होने के कारण तथा वाद खातेदारी की घोषणा एवं आदेशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा को होने के कारण उक्त वाद को माननीय न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा के तहत राजस्व आराजी से संबन्धित रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारिज फरमाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने के कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं

होने के कारण खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण के वाद की नियमित सुनवाई की जावे। अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 का मय हर्जा खारिज फरमाने की कृपा करें।

3. अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी एवं अभिभाषक अप्रार्थी/वादी की बहस सुनी एवं मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार प्रतिवादी क्रम 3 शांतिबाई ने बिना किसी भय, दबाव या मिसरिप्रिजेंटेशन के पूर्ण होश हवाश में स्वेच्छा से व स्नेह पूर्वक अपने हिस्से की भूमि का प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग किया है। हक त्याग डीड को सब रजिस्ट्रार अटरू द्वारा तस्दीक किया जाकर पंजीकृत किया जा चुका है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अधिनियम 10 के अनुसार उक्त हक त्याग डीड एक वेलिड कान्ट्रेक्ट है और ऐसे वेलिड कान्ट्रेक्ट के रजिस्टर्ड दस्तावेज को प्रभाव शून्य घोषित करना विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 के अधिन सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। राजस्व न्यायालय केवल void-ab-initio contract को ही प्रभाव शून्य घोषित कर सकता है। अतः वादीगण/ अप्रार्थीगण द्वारा पेश वाद पत्र के कथनों से कोई भी वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने और चाहा गया मूल अनुतोष सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद खारिज योग्य है। अतः वादीगण/अप्रार्थीगण का खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक संपत्ति है जिसका उनके पिता जगन्नाथ के जीवनकाल से ही वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के बीच पारिवारिक बटवारा हो चुका है और तभी से वादीगण व प्रतिवादी क्रम 1 कब्जे काश्त चले आ रहे है। अतः धारा 207 आर0टी0एक्ट के तहत राजस्व न्यायालय के भी कब्जे काश्त वाली भूमि के रजिस्टर्ड हक त्याग को खारिज किये जाने का

क्षेत्राधिकार है। अतः साक्ष्य एवं गवाहों के बाद ही वाद को निर्णित किया जावे। और प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 खारिज किया जावे।

6 सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के दायरे और इसके अन्तर्गत न्यायालय की अधिकारिता को समझने के लिऐ उक्त आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन करना उचित है जो निम्न प्रकार है–

> 11- Rejection of plaint:- The plaint shall be rejected in the following cases :- (a) where it does not disclose a cause of action,
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so,
> (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court, fails to do so,
> (d) where the suit appears from the statements in the plaint to be barred by any law,
> (e) where itb is filed in duplicate,
> (f) where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9.

7. उपरोक्तानुसार आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों का सारांश है कि न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया जावेगा यदि 'क' वाद हेतु की प्रकट नहीं किया गया हो, 'ख' अनुतोष का

मूल्यांकन कम किया गया हो, 'ग' वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया हो, 'घ' वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो एवं 'ड' डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं किया हो। अतः इस प्रयोजना हेतु उक्त आदेश 7 नियम 11 के उपनियम 'क' व 'घ' शब्दावली पर ध्यान देना आवश्यक है। उपनियम 'क' की शब्दावली– '' Where it does not disclose a cause of action'' का आशय यह है कि आदेश 7 नियम 11 'क' के अन्तर्गत वाद खारिज करते समय यह देखना आज्ञापरक है कि दावा/वादपत्र कारण रहित तो नहीं है। वाद पत्र के मद संख्या 2 से 4 में विधि एवं तथ्यों के समिश्र प्रश्न निहित है जो वाद का कारण व्यक्त करते है। इस विधि व तथ्य के समिश्र प्रश्नों को साक्ष्य, गवाह व विवरण के उपरान्त ही निस्तारित किया जा सकता है।

ग्राम रतनपुरा की जमाबन्दी संवत 2071–74 के अनुसार वाद पत्र के मद क्रम 1 में वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के सहखाते दर्ज है। वाद पत्र के मद क्रम 4 के अनुसार प्रतिवादी क्रम 3 शांतिबाई ने अपने हिस्से की आराजी को जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग डीड प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में हकत्याग किया जा चुका है। प्रतिवादी क्रम 3 द्वारा पेश जवाब दावा दिनांक 18.11.2019 के अवलोकन के स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रम 3 ने बिना किसी भय, दबाव या डर के, राजी खुशी से, स्वस्थचित से , पूर्ण जानकारी के एवं अपनी इच्छा अनुसार अपने हिस्से की आराजी का प्रतिवादी क्रम 1 के पक्ष में हक त्याग किया है। उक्त हकत्याग पत्र को सब रजिस्ट्रार अटरू द्वारा नियमानुसार तस्दीक कर पंजीकृत भी किया जा चुका है। अभिलिखित खातेदार को स्वेच्छा से अपने हिस्से एवं खाते की भूमि को हकत्याग/दान/बेचान/रहन करने से रोकना विधि विरूद्ध है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 (वेलिड कॉन्ट्रेक्ट) एवं विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 का भी अवलोकन किया गया और उक्त हकत्याग डीड प्रावधानों के अनुरूप प्रतित होती है। ऐसे किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को खारिज करने का क्षेत्राधिकार केवल सिविल न्यायालय को है। अतः वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र के आधार पर कोई भी वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार उपनियम 'घ' की शब्दावली '' Where the suit appears from the dtatement in the plaint to be barred by any law''- पर भी ध्यान देना आवश्यक है

जिसका आश्य यह है कि 'वादपत्र के कौन से अभिकथन' के कारण दावा ''किस विधी'' से वर्जित है। अगर वाद पत्र के किसी अभिकथन से दावा विधि से वर्जित है तो आदेश 7 नियम 11(घ) के अधिन दावे को प्राथमिक रूप से खारिज किया जा सकता है। वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र शेष अनुतोष अधिनियम 1963 एवं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण विधि वर्जित है।

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां